

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) एवं 01 असाध्य रोग के मामले में ₹ 25000/- (पचीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 205000/- (दो लाख पाँच हजार रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० धरीक्षण पासवान, स्व० सहदेव पासवान, अनु० जाति	श्रीमती ललबा देवी(पत्नी)	655/13.7.18	ग्रा०-धरवारा, धा०-मेजरगंज, प्र०-सुप्री, सीतामढ़ी	21753996 915	इलाहाबाद बैंक, ALLA0211432	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० जगदीश राउत, स्व० रूदल राउत, सामान्य	श्रीमती मीना देवी(पत्नी)	656/13.7.18	ग्रा०-धरवारा, धा०-मेजरगंज, प्र०-सुप्री, सीतामढ़ी	23310045 73	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0282427	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० हरिकिशोर सिंह, स्व० रामएकबाल सिंह, सामान्य	श्रीमती सुशीला देवी(पत्नी)	658/14.7.18	ग्रा०-भूप भैरव, प्र०-डुमरा, ध०+जि०-सीतामढ़ी	44311011 0008741	बैंक ऑफ इंडिया BKID0004431	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० राम लाल राय, स्व० मोहित राय, सामान्य	श्रीमती महेश्वरी देवी(पत्नी)	659/14.7.18	ग्रा०-सोनौल सूबा, धा०-मेजरगंज, प्र०-सुप्री, सीतामढ़ी	32601155 37	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0282427	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	श्री अनिल सिंह, श्री रघुवंश सिंह, सामान्य	स्वयं	660/14.7.18	ग्रा०-बसबिट्टी, पो०-छौड़हिया, पं०-डायन छपड़ा, प्र०-बधनाहा, सीतामढ़ी	19910100 001011	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOHINROL	₹ 25000/- (पचीस हजार रूपए)	असाध्य रोग, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० महेन्द्र पासवान, स्व० चलितर पासवान, अनु०जाति	श्रीमती कलिया देवी(पत्नी)	701/23.7.18	ग्रा०-धरवारा, धा०-मेजरगंज, प्र०-सुप्री, सीतामढ़ी	39422318 22	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBIN0282427	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० शोभित राम, श्री सरयुग राम, अनु० जाति	श्रीमती सीता देवी(पत्नी)	700/23.7.18	ग्रा०-करपौल सिरौमन, धा०+प्र०-रीगा, सीतामढ़ी	12110100 014476	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOSITAMA	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 205000/-

(दो लाख पाँच हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-42/2018 के पृष्ठ-07/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

P

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-42/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-42/2018-405

पटना, दिनांक :-24-08-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 205000/- (दो लाख पाँच हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उनके ज्ञापक 655, 656 दिनांक 13.7.18, 658, 659, 660 दिनांक 14.7.18, 700, 701 दिनांक 23.7.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

316/21

24.8.18

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।